

भाग -IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।

(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाये और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाये)

Recommended
for
Appraisal
14/12/16

हस्ताक्षर

सुरेश च
मुख्य वन संरक्षक/नोडल
वन (संरक्षण) अधिनि
नाम और पदनाम
सरकारी मोहर

दिनांक : -

स्थान : -